न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 136 / 2017

1 बृजमोहन पुत्र मक्खन।
2 प्रेम देवी पुत्री मक्खन।
3 सन्तोष देवी पुत्री मक्खन समस्त जाति माली निवासीगण जोधपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 तहसीलदार सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू राज्य राजस्थान।
2 सागर पुत्र समदर।
3 गोकुल पुत्र समदर समस्त जाति माली निवासीगण जोधपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 14.07.2017 उनवानी राजस्थान सरकार बनाम सागर आदि मुकदमा नम्बर 142 / 2016 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री जुगल किशोर सैनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. राजकीय, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 6.5.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 142/2016 में पारित निर्णय दिनांक 14.07.2017 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार उदयपुरवाटी ने एक प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का मय शपथ—पत्र पेश किया है कि ग्राम जोधपुरा के वर्तमान भूमि खसरा नम्बर 333 रकबा 1.72 हैक्टर जो अप्रार्थीगण नम्बर 1 लगायत 6 की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। जिसे प्रार्थना—पत्र में विवादित भूमि के नाम से सम्बोधित किया जावेगा। विवादित भूमि में प्रार्थीगण/अपीलान्टस एवं रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 लगायत 3 के द्वारा इस भूमि से अवैध बजरी खनन किया जा रहा है। जो बिना किसी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति एवं स्वीकृति से किया जा रहा है। उक्त विवादित भूमि अप्रार्थीगण को कृषि कार्यो के लिए राज्य सरकार द्वारा अप्रार्थीगण नम्बर 1 लगायत 6 को दी गई थी। राज्य सरकार एवं अप्रार्थीगण के मध्य उक्त भूमि को कृषि प्रयोजनों हेतु उपयोग में लेने की प्रयुक्त संविदा को खातेदार ने भंग कर उक्त भूमि का गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लेकर कृषि भूमि को नुकसान कारित किया है। अन्त में वर्तमान भूमि खसरा नम्बर 333 रकबा 1.72 हैक्टर ग्राम जोधपुरा से अप्रार्थीगण को बेदखल कर भूमि को सिवायचक घोषित करने का आदेश प्रदान करने की सिद्धि चाही है। प्रार्थना—पत्र न्यायालय में पेश होने पर दिनांक 16.05.2016 को दर्ज किया गया जो वास्ते तलबी अप्रार्थीगण में चल रहा था कि पत्रावली को कैम्प कोर्ट जोधपुरा में रख कर अप्रार्थीगण को

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

बिना सुने ही पत्रावली का निस्तारण कर दिया गया। इससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि न्यायालय ने इस प्रकरण निस्तारण कानूनी प्रक्रिया को अपनाते हुये नहीं किया है क्योंकि दिनांक 14.07.2017 को पत्रावली अप्रार्थीगण/अपीलान्टस एवं रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 व 3 की तलबी के लिये नियत थी लेकिन अपीलान्टस रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 व 3 की बिना तामील ही पत्रावली को कोर्ट कैम्प जोधपुरा में ले जाकर अप्रार्थीगण/अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 व 3 को बिना तामील ह प्रकरण का निस्तारण कर दिया जबकि प्रकरण में अप्रार्थीगण/अपीलान्ट की तामील नहीं करवायी गयी तथा ना ही इस प्रकरण में अप्रार्थीगण/अपीलान्ट को कोई सुनवाई का अवसर न्यायालय हाजा द्वारा नहीं दिया गया है जबकि न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण/अपीलान्ट को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करके उसका जबाब रिकार्ड पर लेने के बाद दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर ही विधि संगत आदेश पारित करना था लेकिन इस प्रकरण में न्यायालय ने कानूनी प्रक्रिया को नहीं अपनाकर अपनी मन मर्जी से राजनैतिक दबाब में आकर न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर इस प्रकरण का निस्तारण किया है। इस प्रकरण का निस्तारण राजस्व कैम्प में किया गया है परन्तु राजस्व कैम्प में केवल आपसी सहमति वाले प्रकरणों का ही निस्तारण दोनों पक्षों की सहमति या राजीनामा के आधार पर किया जाता है। लेकिन इस प्रकरण में अपीलान्टस इस प्रकरण में अपीलान्टस को कैम्प कोर्ट में उपस्थित होने का कोई नोटिस न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया गया है तथा ना ही अपीलान्टस/रेस्पोडेन्टस संख्या 2 व 3 की उपस्थिति बाबत पत्रावली पर कोई साक्ष्य उपलब्ध है। इसके बावजूद भी न्यायालय ने अपीलान्टस की गैर मौजूदगी में बिना सहमति एवं राजीनामा के बिना ही पक्षकार को बिना सुने ही प्रकरण का निस्तारण कानून से बाहर जाकर गलत रूप से किया है। हल्का पटवारी ग्राम जोधपुरा ने अपनी मौका रिपोर्ट में भूमि खसरा नम्बर 333 रकबा 1.72

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

हैक्टर में अप्रार्थीगण/अपीलान्टस द्वारा अवैध बजरी खनन करना बताया है परन्तु हल्का पटवारी भी अंकित रिपोर्ट अस्पष्ट है। इस रिपोर्ट में हल्का पटवारी ने यह नहीं लिखा है कि खसरा नम्बर 333 की कितनी भूमि में बजरी खनन कार्य किया गया है तथा बजरी खनन कार्य कैसे किया गया है तथा भूमि कितनी गहरायी तक बजरी खनन कार्य किया गया है तथा बजरी खनन क्या आज भी मौके पर हो रहा है। इन सब तथ्यों पर हल्का पटवारी ने स्पष्ट रिपोर्ट पेश नहीं की है तथा पटवारी हल्का द्वारा इन तथ्यों का रिपोर्ट में कोई अंकन नहीं किया गया है तथा हल्का पटवारी द्वारा जो मौका रिपोर्ट प्रार्थना–पत्र के साथ पेश की है। उसमें किसी भी खातेदार के हस्ताक्षर नहीं है तथा ना ही खातेदारों को सूचित कर उसकी उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की गई इसका कोई अंकन रिपोर्ट में नहीं है तथा मौका रिपोर्ट पर किसी भी स्वतंत्र मौतबिरान के हस्ताक्षर भी हल्का पटवारी ने नहीं करवाये है। रिपोर्ट देखने से यह साफ जाहिर होता है कि हल्का पटवारी ने अपने कार्यालय में ही उक्त रिपोर्ट राजनैतिक प्रभाव में आकर गलत रूप से तैयार की है। हल्का पटवारी ना तो मौके पर गया एव ना ही उसने खातेदारों को बजरी खनन के लिए पाबन्द किया है। हल्का पटवारी ने अपनी रिपोर्ट कार्यालय में ही तैयार की है। जिसको आधार मानकर तहसीलदार उदयपुरवाटी ने प्रार्थना–पत्र बेदखली धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया है तथा इसी रिपोर्ट को आधार मानकर न्यायालय ने आदेश पारित करने की कानूनी भूल की है। न्यायालय द्वारा अपीलान्टस को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही अपना आदेश पारित किया है ताा केवल पटवारी रिपोर्ट को आधार मानते हुए अपना निर्णय पारित किया है जबकि इस मौका रिपोर्ट पर न भू–अभिलेख निरक्षक के हस्ताक्षर है और ना ही तहसीलदार के हस्ताक्षर है हल्का पटवारी ने राजनैतिक प्रभाव में आकर यह रिपोर्ट अपने कार्यालय में ही तैयार कर अपीलान्टस के विरूद्ध गलत मुकदमा पेश किया है क्योंकि फर्द रिपोर्ट मौके से मैच नहीं खाती है। हल्का पटवारी रिपोर्ट एवं वर्ष 2071 से 2073 की खसरा गिरदावरी दोनों रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा ही तैयार की गई रिपोर्ट है परन्तु दोनों रिपोर्ट विरोधाभाषी हैं सम्वत 2071 से 2073 की

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

खसरा गिरदावरी में खसरा नम्बर 333 रकबा 1.72 हैक्टर में बाजरा, ग्वार की फसल काश्त करना बता रहे है जबकि फर्द मौका रिपोर्ट में बजरी खनन करना बता रहे है दोनों रिपोर्ट विरोधाभाषी है। विचारण न्यायालय के आदेश की दिनांक 10.09.2017 से पूर्व कोई जानकारी नहीं थी। दिनांक 10.09.2017 को अपीलान्ट किसान केडिट कार्ड बनवाने के लिए हल्का पटवारी के पास रिकार्ड प्राप्त करने पर हुआ। इससे पूर्व अदालत मातहत के आदेश की जानकारी अपीलान्ट को नहीं थी ओर जानकारी के रोज से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि ग्राम काटलीपुरा की भूमि खसरा नम्बर 333 रकबा 1.72 हैक्टेयर का तहसीलदार उदयपुरवाटी ने मौका निरीक्षण कर मौके पर बजरी खनन किया होना एवं भूमि पर गहरे खड्डे होना बताया है स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा बिना अनुमती के कृषि भूमि को अवैध बजरी खनन कर अकृषि उपयोग में लिया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से तहसीलदार उदयपुरवाटी का आवेदन स्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील मियाद बाहर है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम काटलीपुरा की भूमि खसरा नम्बर 333 रकबा 1.72 हैक्टेयर का तहसीलदार उदयपुरवाटी ने मौका निरीक्षण कर मौके पर बजरी खनन किया होना एवं भूमि पर गहरे खड्डे होना बताया है स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा बिना अनुमती के कृषि भूमि को अवैध बजरी खनन कर अकृषि उपयोग में लिया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से तहसीलदार उदयपुरवाटी का आवेदन स्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है। प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये अपीलांट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी भी नही पाया जाता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 6.5.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर